



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा

जिला - उदयपुर (राज0)

कैम्प:-ग्रामीण सेवा शिविर-2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

—:: आदेश ::—

प्रार्थी खातेदारी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल- .... खाण्डीओबरी.....  
व भू - अभिलेख निरीक्षक, वृत्त- ...खैरवाडा..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार खैरवाडा की अनुशंषा के आधार  
पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम- .. मुण्डवाडा ब  
..... पटवार मण्डल- ...खाण्डीओबरी ..... तहसील- खैरवाडा जिला - उदयपुर की  
जमाबन्दी संवत्- .....2075-2078..... में खाता संख्या-51..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप  
से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराज करने के आदेश दिये जाते हैं -

राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
मुण्डवाडा ब	51	SBBJ खैरवाडा	SBI खैरवाडा

पीठासीन अधिकारी  
सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं अधिकारी  
पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा  
जिला - उदयपुर (राज0)

क्रमांक :- सेवा शिविर-2025/52/2025/1500-1528

दिनांक :-18.09.2025

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, खैरवाडा को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. प्रार्थी श्री ..... परता पुत्र नाना..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं अधिकारी  
पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा  
जिला - उदयपुर (राज0)